[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 18 फरवरी, 2019

का.आ. (अ).— केंद्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उपधारा (6) के अनुसरण में, उक्त अधिनियम के अधीन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित शत्रु शेयर के विक्रय के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम शत्रु शेयर के विक्रय के लिए प्रक्रिया और क्रियाविधि आदेश, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उच्च स्तरीय समिति का गठन-(1) केन्द्रीय सरकार इस आदेश के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनी उच्च स्तरीय समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन कर सकेगी, अर्थात्:--

(i) सचिव, वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग- सह अध्यक्ष;

(ii) सचिव, गृह मंत्रालय, - सह अध्यक्ष;

(iii) सचिव वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग या उसका संयुक्त सचिव की रैंक से अन्यून प्रतिनिधि;

(iv) सचिव विधि कार्य विभाग या उसका संयुक्त सचिव की रैंक से अन्यून प्रतिनिधि;

(v) सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय या उसका संयुक्त सचिव की रैंक से अन्यून प्रतिनिधि;

(vi) वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय;

(vii) वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग;

(viii) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय;

(ix) संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग;

(x) भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ।

(2) उच्च स्तरीय समिति खंड 3 के अधीन गठित उच्च शक्ति समिति को शत्रु शेयर के विक्रय के लिए मात्रा और कीमत या कीमत बैंड अथवा शत्रु शेयर के विक्रय के लिए सिद्धांत या क्रियाविधि अथवा पद्धति की सिफारिश करेगी।

परंतु उच्च शक्ति समिति को कोई सिफारिश करने से पूर्व उच्च स्तरीय समिति भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक से यह प्रमाणित करने की वांछा करेगी कि शत्रु शेयर का विक्रय किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं है और उसका निपटारा सरकार द्वारा किया जा सकता है।

(3) वैकल्पिक क्रियाविधि – (1) केन्द्रीय सरकार इस आदेश के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनी उच्च शक्ति समिति के नाम से ज्ञात एक वैकल्पिक क्रियाविधि का गठन कर सकेगी, अर्थात्:--

(i) गृह मंत्री;

(ii) वित्त मंत्री; और

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ।

(2) उच्च शक्ति समिति, उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर शत्रु शेयर के विक्रय के लिए मात्रा और कीमत या कीमत बैंड अथवा ऐसे शेयर के विक्रय के लिए सिद्धांत या क्रियाविधि अथवा पद्धति का विनिश्चय करेगी।

4. शत्रु शेयर का विक्रय – उच्च शक्ति समिति के विनिश्चयों के आधार पर, भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार इसकी अभिरक्षा के अधीन शत्रु शेयर का विक्रय कर सकेगी।

फा.सं. 37/90/2017-EP

(के. बी. सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

IndiaCode

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,

PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 18th February, 2019

S.O. …(E).- In pursuance of sub-section (6) of section 8A of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following order for the sale of enemy share vested in the Custodian of Enemy Property for India under the said Act, namely:–

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called The Procedure and mechanism for Sale of Enemy Share Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Constitution of High Level Committee. - (1) The Central Government may constitute a Committee consisting of the following to be known as the High Level Committee for the purposes of this Order, namely: –

(i) Secretary, Ministry of Finance, Department of Investment and Public Assets Management – Co-Chair;

(ii) Secretary, Ministry of Home Affairs - Co-Chair;

(iii) Secretary or representative, not below the rank of Joint Secretary of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs;

(iv) Secretary or representative, not below the rank of Joint Secretary of the Department of Legal Affairs;

(v) Secretary or representative, not below the rank of Joint Secretary of the Ministry of Corporate Affairs;

(vi) Financial Advisor, Ministry of Home Affairs;

(vii) Financial Advisor, Ministry of Finance, Department of Investment and Public Assets Management;

(viii) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs;

(ix) Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Investment and Public Assets Management; and

(x) Custodian of Enemy Property for India.

IndiaCode

(2) The High Level Committee may recommend the quantum and price or price band for sale of enemy share or the principles or mechanism or method for sale of enemy share to the High Power Committee constituted under clause 3:

Provided that before making any recommendation to the High Power Committee, the High Level Committee shall seek from the Custodian of Enemy Property for India to certify that the sale of enemy share is not in contravention of any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority or any law for the time being in force and can be disposed of by the Government.

3. Alternative Mechanism. – (1) The Central Government may constitute an Alternative Mechanism to be known as High Power Committee consisting of the following for the purposes of this Order, namely: –

(i) Home Minister;

(ii) Finance Minister; and

(iii) Minister of Road Transport and Highways.

(2) The High Power Committee shall, on the basis of the recommendation made by the High Level Committee, decide the quantum and price or price band for sale of enemy share or the principles or mechanism or method for sale of such share.

4. Sale of Enemy Share. – On the basis of the decisions of the High Power Committee, the Custodian of Enemy Property for India may sale the enemy share under its custody in accordance with the procedure specified in any law for the time being in force.

indiacode

F. No 37/90/2017-EP

(K.B. Singh)

Joint Secretary to the Government of India